अध्याय 1: प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्वचालन (एसीईएस), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा एक ई-गर्वनेंस पहल है। यह भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस योजना के अंतर्गत मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। यह एक साफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका लक्ष्य भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में करदाता सेवाएं, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और दक्षता में सुधार है। यह एप्लीकेशन वेब आधारित और वर्कफ्लो आधारित प्रणाली है जिसने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सीएक्स) और सेवा कर (एसटी) में सभी मुख्य प्रक्रियाओं को स्वचालित किया है।

एसीईएस एप्लीकेशन को दिसम्बर 2008 में बैंगलुरू में बड़ी करदाता इकाई (एलटीयू) कमिश्नरी में प्रारंभ किया गया और बाद में पूरे भारत में चरणों में कार्यान्वित किया गया था।

इस पहल का उद्देश्य व्यवसायिक प्रक्रियाओं को पुन: बनाना और मौजूदा कर प्रशासन को आधुनिक, दक्ष और पारदर्शी प्रणाली में परिवर्तित करना और व्यापार सुविधा और प्रवर्तन के बीच इष्टतम संतुलन कायम करना और स्वैच्छिक अनुपालन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना था। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों के साथ निर्धारिती का प्रत्यक्ष इंटरफेस कम करना और स्वचालित प्रक्रियाके माध्यम से दी गई उन्नत करदाता सेवाओं के साथ पारदर्शी और कागज रहित व्यवसायिक माहौल प्रदान करना है।

एसीईएस एप्लीकेशन का इंटरफेस सीएक्स और एसटी निर्धारितियों के साथ-साथ विभागीय अधिकारियों के लिए है। इसमें सीएक्स और एसटी की मुख्य प्रक्रियाओं जैसे पंजीकरण, रिटर्न, लेखाकरण, प्रतिदाय, विवाद निपटान प्रस्ताव, लेखापरीक्षा, अनंतिम निर्धारण, निर्यात, दावे, सूचनाएं और अनुमतियों को स्वचालित करने का प्रावधान है।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित सीबीईसी, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राजस्व विभाग का एक अंग है। यह सीमाशुल्क, सीएक्स शुल्क और एसटी के उद्ग्रहण और संग्रह, तस्करी रोकने और सीमाशुल्क, सीएक्स, एसटी और मादक पदार्थों से संबंधित मामलों के प्रशासन से संबंधित नीति तैयार करने का कार्य करता है। बोर्ड सीमा शुल्क हाऊसस, सीएक्स और एसटी कमिश्नरियों और केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला सहित अपने अधीनस्थ संगठनों के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण है।

महानिदेशक कार्यालय (सिस्टमस और डाटा प्रबन्धन) (डीजी(सिस्टम)) सीबीईसी का एक अधीनस्थ कार्यालय है जो एसीईएस परियोजना के डिजाइन विकास, प्रोग्रामिंग, जांच, कार्यान्वयन और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। निदेशालय की अध्यक्षता महानिदेशक (सिस्टम और डाटा प्रबन्धन) द्वारा की जाती है और मुख्यालय में अपर महानिदेशक द्वारा सहायता की जाती है। इसी प्रकार, कार्यकारी स्तर पर, सीएक्स और एसटी के मुख्य उपायुक्त और उनके क्षेत्रीय संगठन एसीईएस की वास्तविक उपयोगिता के लिए उत्तरदायी है।

चार्ट 1

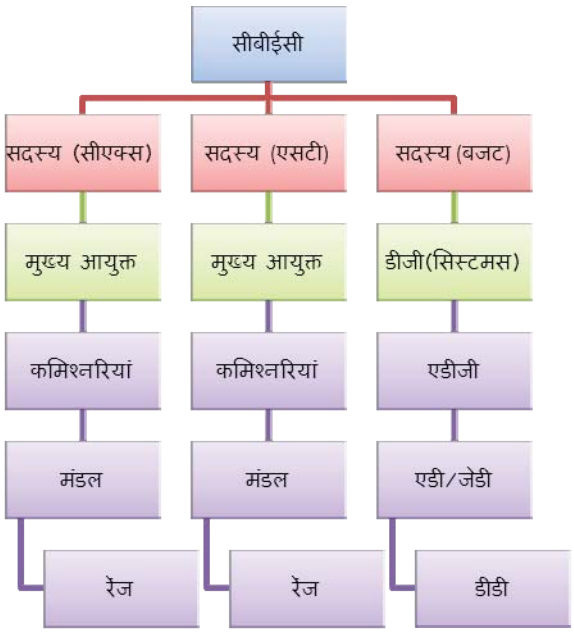

1.3 एसीईएस की कार्यप्रणाली की संरचना और स्थिति

एसीईएस एप्लीकेशन केन्द्रीकृत, वेब आधारित वर्कफ्लो आधारित सिस्टम के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन की गई है ताकि सीएक्स और एसटी प्रशासन में मुख्य प्रक्रियाओं को कवर करते हुए शुरू से अंत तक पूर्ण समाधान प्रदान कर सके। प्रयोक्ता एसीईएस को वेबसाइट https://www.aces.gov.in पर प्रयोग कर सकते हैं और एसटी और सीएक्स के बीच विकल्प को चुन सकते हैं। सीएक्स के लिए एसीईएस एप्लीकेशन में दस मॉड्यूल हैं नामत: एक्सेस कन्ट्रोल लोजिक (एसीएल), पंजीकरण, रिटर्न, अनंतिम निर्धारण, दावे और सूचना (सीएलआई), विवाद निपटान प्रस्ताव, प्रतिदाय, निर्यात, लेखापरीक्षा और रिपोर्ट। इसी प्रकार, एसीईएस में एसटी के लिए आठ मोड्यूल है (सीएलआई और निर्यात को छोड़कर)।

1.4 हमने यह विषय क्यों चुना

जैसा कि इसकी प्रस्तावना से स्पष्ट है, एसीईएस का भारत में कर प्रशासन की समग्र विधि पर दूरगामी प्रभाव है। यह न केवल मौजूदा कर परिवेश में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन का इलैक्ट्रानिक साधन प्रदान करना है किन्तु यह जीएसटी कार्यान्वित करने के बाद कर संग्रहण और कार्यान्वयन तंत्र की भविष्य की संरचना के लिए भी आधार तैयार करता है। एसीईएस को सीएक्स तथा एसटी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित तथा सरल करके व्यापार एवं उद्योग में सहायता करते हुए राजस्व को निष्पक्ष, न्यायसंगत तथा दक्ष तरीके से वसूल करने में सहायता करने के लिए डिजाईन किया गया है।

ऐसे परिदृश्य में, हमने महसूस किया कि यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या प्रणाली को विधिक ढांचे की कड़े अनुपालन में डिजाईन किया गया है, स्वैच्छिक अनुपालन हेतु करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सही विशेषताएं इसमें हैं, करदाताओं तथा विभागीय प्रयोक्ताओं के लिए प्रक्रियाओं को सरल किया गया है तथा प्रतिदिन बदलते पर्यावरण में तेजी से ढल जाने

के लिए आवश्यक लचीलापन तथा मापनीयता है, एसीईएस की कार्यप्रणाली का निष्पक्ष मूल्यांकन आवश्यक था।

1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी कि क्या एसीईएस के निम्नलिखित उद्देश्य पूरे हुए हैं:

- कारोबार प्रक्रियाओं को पुन:निर्माण करने तथा वर्तमान कर प्रशासन को एक आधुनिक, दक्ष एवं पारदर्शी प्रणाली में बदलने के लिए;
- कागजी दसतावेजों की मानवीय रूप से फाइलिंग तथा हैण्डलिंग को क्रमश: ई-फाइलिंग तथा ई-प्रोसेसिंग में बदलना जो विभागीय अधिकारियों के साथ व्यवसायिक समुदाय के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप को कम करता,

उपरोक्त के अतिरिक्त, हमने बोर्ड की क्षेत्रीय संरचनाओं में एसीईएस के विभिन्न मॉड्यूलों के उपयोग की सीमा की भी जांच की।

1.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और चयन

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, हमने डीजी (सिस्टम) के अतिरिक्त 145 कमिश्नरियों में से 40[1], 737 डिवीजनों में से 75, 3,649 रेजों में से 201 को चयनित एवं कवर किया। चयनित सीडीआरज में चयनित रेजों तथा विभागीय प्रयोक्ताओं के अंतर्गत सीएक्स तथा एसटी के निर्धारितियों के प्रतिनिधि नमूने से फीडबैक प्राप्त करने के लिए 420 विभागीय प्रयोक्ताओं तथा 543 निर्धारितियों को ईमेल/डाक द्वारा एक प्रश्नावली प्रचारित की गई थी।

1.7 लेखापरीक्षा कवरेज

---

[1] अहमदाबाद (एसटी), अहमदाबाद-।।, इलाहाबाद, बेंगलूरू (एलटीयू), बैंगलूरू-। (एसटी), बैंगलूरू-। (सीएक्स), भोपाल, भुवनेश्वर-।।, बोलपुर, चण्डीगढ-।, चेन्नै (एलटीयू), चेन्नै-। (एसटी), कोयम्बटूर, दिल्ली (एलटीयू), दिल्ली-।। (सीएक्स), दिल्ली-।। (एसटी), गोवाहाटी, हैदराबाद-।।, हैदराबाद-IV, इंदौर, जयपुर-।, कानपुर, कोचीन, कोलापुर, कोलकाता-। (एसटी), कोलकाता-।।।, कोलकाता-।, लुधियाना, मुम्बई (एलटीयू), मुम्बई-। (सीएक्स), मुम्बई-। (एसटी), पटना, पुदुचेरी, पूणे-।, रांची, रोहतक, सूरत-।।, बडोदरा-।। और विशाखापट्टनम-।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, हमने एसीईएस का इसके प्रारंभ अर्थात दिसम्बर 2008 से जून 2014 तक कमिश्नरियों, डिवीजनों तथा रेजों में इसके कार्यान्वयन तथा उपयोग की जांच की। हमने चयनित अवधि के लिए एसीईएस के विकास एवं कार्यान्वयन से संबंधित डीजी (प्रणाली) के अभिलेखों की भी जांच की।

1.8 आभार

हम इस लेखापरीक्षा के संचालन के लिए आवश्यक अभिलेख उपलब्ध करने में सीबीईसी तथा इसके सहायक संगठनों द्वारा किए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

हमने 14 अगस्त 2014 को एक एन्ट्री कान्फ्रैंस में सीबीईसी अधिकारियों के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्यों तथा कार्यक्षेत्र पर चर्चा की। हमने 13 अक्तूबर 2015 को सीबीईसी के साथ एक्जिट कान्फ्रैंस का आयोजन किया।

[2] अहमदाबाद-।।, भोपाल, चडीगढ़-।, चेन्नई (एलटीयू), दिल्ली-।। (सीएक्स), दिल्ली-।। (एसटी), दिल्ली (एलटीयू), गुवाहाटी, हैदराबाद-V, इंदौर, जयपुर-।, कोल्हापुर, लुधियाना, मुम्बई,-। (सीएक्स), मुम्बई-। (एसटी), मुम्बई (एलटीयू), पुणे-।, रांची, रोहतक और बडोदरा-।।